

**न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बड़वानी**  
**समक्ष-श्रीमती वंदना राज पांडेय**

**आपराधिक प्रकरण क्रमांक 653/2012**  
**संस्थित दिनांक-17.12.2012**

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-  
आरक्षी केन्द्र-ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र. ....अभियोजन

**वि रू द्ध**

प्रेमसिंग पिता रामा तिरोले,  
आयु-37 वर्ष, जाति-भीलाला  
निवासी-ग्राम कुण्डिया,  
थाना ठीकरी, जिला बड़वानी .....अभियुक्त

अभियोजन द्वारा	— श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.ओ. ।
अभियुक्त द्वारा	— श्री आर.के. श्रीवास अधिवक्ता ।

**—: निर्णय :-**

**(आज दिनांक 10/12/2015 को घोषित)**

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 202/2012 अंतर्गत 304-ए भा.द.सं. में दिनांक 17.12.2012 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 20.10.2012 को रात्रि 8:00 बजे, लोक स्थान बरुफाटक चोपाटी पर वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 जी.ई. 1016 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर कुमारी प्रेमा का जीवन संकटापन्न होना संभाव्य बनाकर उसे टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित करने, जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है, के संबंध में अभियुक्त पर धारा 304-ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था ।
3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 20.10.2012 को फरियादी सुनिल की बहन कुमारी प्रेमा अलिराजपुर से घर ग्राम घोलानिया बस द्वारा आ रही थी, बरुफाटक चोपाटी पर बस से उतरकर फरियादी को बताया तब वह उसकी मोटरसाइकिल डिलक्स क्रमांक एम.पी. 46 एम.सी. 3710 से उसकी बहन को लेने के लिए गया जहाँ से उसकी बहन को पीछे बैठाकर उसके घर जाने लगा तभी चोपाटी बरुफाटक ए.बी. रोड़ कास करने लगा तो जुलवानिया की आरे से एक ट्रक चालक उसके ट्रक तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और फरियादी की मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी जिससे मोटरसाइकिल के पीछे बैठी कुमारी प्रेमा गिर गई जिससे टक्कर लगने से दोनों पैरों में चोटें आईं । ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर भाग गया । कुमारी प्रेमा को ईलाज

हेतु चिकित्सालय लेकर गये जहाँ चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने फरियादी सुनिल द्वारा दी गई घटना की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात ट्रक चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 202/2012 अंतर्गत धारा 304-ए भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 2 लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने फरियादी सुनिल की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 3 बनाया। पुलिस ने अभियुक्त सुनिल के पेश करने पर वाहन क्रमांक लिखी पर्ची जप्त कर प्रदर्शपी 4 का जप्ती पंचनामा बनाया तथा प्रेमसिंग के पेश करने पर वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 जी.एफ. 1016 मय दस्तावेज एवं अभियुक्त की चालन अनुज्ञप्ति को जप्त कर प्रदर्शपी 14 का जप्ती पंचनामा बनाया तथा फरियादी एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध कर अभियुक्त के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र अंतर्गत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा 304-ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं. प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि -

क्या अभियुक्त ने दिनांक 20.10.2012 को रात्रि 8:00 बजे, लोक स्थान बरूफाटक चोपाटी पर वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 जी.ई. 1016 को उपेक्षापूर्ण ढंग से अथवा उतावलेपन से चलाकर कुमारी प्रेमा का जीवन संकटापन्न होना संभाव्य बनाकर उसे टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की, जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है,

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में मनोज (अ.सा.1), सुनील चौहान (अ.सा.2) ऐरांग (अ.सा.3), रेमसिंग (अ.सा.4) रायसिंह (अ.सा.5), राधेश्याम (अ.सा.6), सोहन (अ.सा.7), डॉ. डी.एस. चौहान (अ.सा.8), अशोक वर्मा (अ.सा.9), शैलेन्द्र सोनी (अ.सा.10) एवं सहायक उपनिरीक्षक मेहताब सिंह चौहान (अ.सा.11) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

### **विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 का निराकरण :-**

7. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में साक्षी सुनील चौहान (अ.सा.2) का कथन है कि वह अभियुक्त को नहीं जानता है। मृतिका कु. प्रेमा उसकी बहन थी, लगभग 2 वर्ष पूर्व घटना के दिन उसकी बहन बस में बैठकर बरूफाटक तक आई थी, वह अपनी बहन को बरूफाटक से घोलानिया अपनी मोटरसायकल क्रमांक एम.पी.46 एम. सी.3710 में बैठाकर ले जा रहा था, तभी बरूफाटक बायपास पर जुलवानिया की ओर से

आ रहे किसी वाहन ने पीछे से उसकी मोटरसायकल को टक्कर मार दी, जिससे वह तथा उसकी बहन प्रेमा गिर गये थे, प्रेमा के शरीर पर चोटे आई थीं । वे प्रेमा को ठीकरी अस्पताल ले गये थे, वहां से डॉक्टर इंदौर के लिये रैफर कर दिया था, इंदौर ले जाते समय रास्ते में प्रेमा की मृत्यु हो गयी थी । उसने घटना की रिपोर्ट थाना ठीकरी पर लेखबद्ध करायी थी, जो प्र.पी.2 की है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । पुलिस ने उसके बताये अनुसार घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी.3 का बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । पुलिस ने उसके बयान लिये थे । पुलिस को उसने वाहन क्रमांक लिखी हुई पर्ची नहीं दी थी, जप्ती पंचनामा प्र.पी.4 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं ।

8. साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि ऐरांग पिता बिसन उसके गांव में निवास करता है, लेकिन इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसे ऐरांग ने वाहन क्रमांक एम.पी.09 जी.एफ.1016 लिखी हुई एक पर्ची दी थी, जो उसने पुलिस को जप्त करायी थी । यहां तक कि साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.6 का ए से ए भाग का कथन देना भी नहीं बताया है । बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट पढ़कर नहीं बतायी थी । यह भी स्वीकार किया है कि उसने अपने कथन प्र.पी.6 में ट्रक-आयशर लाल रंग की होकर तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाने वाली बात नहीं बतायी थी । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को नहीं देखा था, इसलिए वह वाहन का क्रमांक नहीं बता सकता ।

9. साक्षी ऐरांग (अ.सा.3) ने भी फरियादी और उसकी बहन को पहचानने के अतिरिक्त अन्य कोई कथन अभियोजन के समर्थन में नहीं किया है । साक्षी का कथन है कि उसे सुनील और उसकी बहन प्रेमा की दुर्घटना की सूचना मिलने पर वह घटनास्थल पर गया था । इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने बरूफाटक बायपास पर दुर्घटना होते देखी थी तथा वाहन का पीछा मोटरसायकल से किया था । इस सुझाव से भी इन्कार किया कि आयशर वाहन चालक ने नहीं रोका था, तब उसने मोटरसायकल की हेडलाईट से वाहन का क्रमांक देखा था, जो एम.पी.09 जी.एफ. 1016 था । साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया कि उसने उक्त नंबर अपनी डायरी में नोट करके सुनील को दिये थे । साक्षी ने पुलिस को प्र.पी.7 का कथन देने से भी इन्कार किया है एवं प्र. पी.8 की पर्ची पर अपनी लिखावट होने से भी इन्कार किया है ।

10. साक्षी रेमसिंग (अ.सा.4), रायसिंह (अ.सा.5), राधेश्याम (अ.सा.6) एवं साक्षी सोहन (अ.सा.7) ने दुर्घटना में प्रेमा की मृत्यु होने तथा पुलिस द्वारा प्रेमा की लाश का पंचनामा, सफीना-फार्म बनाये जाने तथा प्र.पी.9 और प्र.पी.10 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं । साक्षी राधेश्याम (अ.सा.6) का यह भी कथन है कि पुलिस ने उसके सामने सुनील से कोई चिट जप्त नहीं की थी । साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसके सामने पुलिस ने फरियादी सुनील से प्र.पी.8 की पर्ची जप्त कर प्र.पी.4 का जप्ती पंचनामा बनाया था ।

11. साक्षी मनोज (अ.सा.1) ने केवल इतना कथन किया है कि उसने एक वर्ष पहले बरूफाटक चौराहे पर एक मोटरसायकल में एक लड़के एवं एक लड़की

की दुर्घटना देखी थी । इस साक्षी को भी पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि दिनांक 20.10.12 काके उसने देखा था कि तेज गति से आ रहे ट्रक ने मोटरसायकल को टक्कर मार दी थी । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि एक मोटरसायकल चालक ने ट्रक का पीछा किया था । साक्षी अशोक वर्मा (अ.सा.9) का कथन है कि दिनांक 18.11.12 को उसने थाना ठीकरी में अपराध क्रमांक 202/12 में जप्त आयशर क्रमांक एम.पी.09 जी.एफ. 1016 का परीक्षण करने पर उसने कोई तकनीकी त्रुटि होना नहीं पायी थी । साक्षी ने उसके परीक्षण प्रतिवेदन प्र. पी.16 को प्रमाणित किया है ।

12. साक्षी डॉक्टर डी.एस. चौहान (अ.सा.8) ने दिनांक 20.10.12 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी में कु. प्रेमा पिता रामसिंह आयु 18 वर्ष के शव का परीक्षण कर उसकी मृत्यु का कारण सिर और फैफड़े में आई चोटों के कारण अत्यधिक खून बहने से बतायी है । साक्षी ने शव परीक्षण प्रतिवेदन प्र.पी.15 को भी प्रमाणित किया है ।

13. साक्षी मेहताबसिंह चौहान (अ.सा.11) ने दिनांक 21.10.12 को थाना ठीकरी में फरियादी सुनील की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात ट्रक चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 202/12 प्र.पी.2 का दर्ज किया था, जिसके बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताये हैं । साक्षी ने मृतिका प्रेमा की लाश का पंचनामा और सफीना-फार्म प्र.पी.9 एवं प्र.पी.10 बनाने के संबंध में कथन किया है । साक्षी का यह भी कथन है कि दिनांक 31.10.12 सुनील के पेश करने पर एक पर्ची जिस पर वाहन क्रमांक एम.पी.09 जी.एफ. 1016 लिखा था, प्र.पी.4 के अनुसार जप्त की थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । साक्षी का यह भी कथन है कि उसने अभियुक्त के पेश करने पर उक्त वाहन के दस्तावेज, अभियुक्त की चालक अनुज्ञप्ति प्र.पी.14 के अनुसार जप्त की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था । फरियादी एवं साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे । बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि फरियादी ने अज्ञात ट्रक चालक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करायी थी । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने फरियादी सुनील से कोई पर्ची प्र.पी.4 के अनुसार जप्त नहीं की थी । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसे किसी साक्षी ने कोई कथन नहीं दिये थे । इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने अभियुक्त से उसके दस्तावेज जप्त नहीं किये थे ।

14. इस प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.2 फरियादी सुनील ने अज्ञात ट्रक चालक के विरुद्ध दर्ज करायी है तथा अभियोजन के अनुसार प्रकरण के साक्षी ऐरांग (अ.सा.3) ने उक्त टक्कर मारने वाले वाहन का पीछा कर उसका नंबर एक पर्ची पर लिखकर फरियादी सुनील को दिया था, जो पर्ची सुनील ने जप्त करायी है, लेकिन साक्षी ऐरांग (अ.सा.3) तथा सुनील (अ.सा.2) ने इस संबंध में कोई भी कथन न्यायालय में नहीं किया है कि ऐरांग ने सुनील को वाहन क्रमांक एम.पी.09 जी.एफ. 1016 लिखी हुई एक पर्ची दी थी । साक्षियों ने इस सुझाव से भी स्पष्ट इन्कार किया है कि ऐरांग ने उक्त वाहन का पीछा कर वाहन का क्रमांक देखा था, ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने ही घटना दिनांक 20.10.12 को उक्त वाहन को लोकमार्ग पर उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर फरियादी सुनील की मोटरसायकल को टक्कर मारकर कु. प्रेमा की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित की, जो

कि आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती है ।

15. इस प्रकार अभियोजन अभियुक्त प्रेमसिंग के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है । अतः यह न्यायालय अभियुक्त प्रेमसिंग पिता रामा तिरोले, आयु—37 वर्ष, जाति भीलाला निवासी ग्राम कुण्डिया जिला बड़वानी को संदेह का लाभ देते हुए भा.द.सं. की धारा—304(ए) के आरोप से दोषमुक्त घोषित करता है ।

16. अभियुक्त के जमानत—मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

17. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी. 09 जी.एफ. 1016 उसके पंजीकृत स्वामी शैलेन्द्र पिता रमेशचंद्र सोनी निवासी इंदौर को सुपुर्दगीनामे पर दिया गया है, सुपुर्दगीनामा बाद अपील अवधि निरस्त समझा जाए, अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए ।

18. अभियुक्त का द.प्र.सं. की धारा—428 के प्रावधानों के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण—पत्र बनाया जाए ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित  
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़ जिला—बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)  
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
अंजड़, जिला—बड़वानी, म.प्र.